न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार आर ए.एस

मुकदमा नंबर 16/2020

राजेन्द्र सुरीजी जैन दादावाडी बनाम 1. सरकार तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–. 13 2.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम मेवानगर के खसरा न 727/217 रकबा 2.00 किस्म बा. दो वर्तमान में राजेन्द्र सुरीजी जैन दादा बाडी पन्नालाल वल्द गणपतलाल कौम ओसवाल सा. बाली तहसील बाली जिला पाली खातेदार के नाम दर्ज है।

राजेन्द्र सुरीजी जैन दादावाडी के ट्रस्टी अरविन्द मदाणि के एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मेमं पेश कर निवेदन किया कि राजस्व (ग्रुप)6 के परिपत्र पत्रांक कमाक 5 (8) राज–6/97/6 दिनांक 09.06.2009 द्वारा किसी संस्था या कम्पनी के साथ जरिये मैनेजर या निदेशक आदि का नाम राजस्व रेकर्ड मे नहीं होना चाहिए यदि ऐसी कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड में है तो इसे आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत शुद्व किया जा सकता है। प्रार्थी ने निवेदन है कि ग्राम मेवानगर के खसरा न. 727/217 रकबा 2.00 बीघा में राजेन्द्र सुरीजी जैन दादावाडी के साथ दर्ज ट्रस्टी पन्नालाल वल्द गणपतलाल का नाम हटाने का आदेश फरमावें ट्रस्टी पन्नालाल ने अपना नाम हटाने पर सहमति प्रस्तुत की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर तहसीलदार पचपदरा को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार पचपदरा ने कंमाक/ राजस्व/ 2020/116 दिनांक 21.01.2020 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आपति नहीं होना बताया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा द्वारा जवाब एवं पटवारी मेवानगर व उपतहसीलदार जसोल व राजस्व ग्रुप के 9.06.2009 पर मनन किया गया। ट्रस्ट की भूमि पर ट्रस्टी का नाम नहीं होना चाहिए। अतः त्रुटिपूर्वक प्रविष्टि को शुद्व किया जाना सही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार पचपदरा को आदेश किया जाता है कि ग्राम मेवानगर के खसरा नं. 727/217 रकबा 2.00 बीघा मे राजेन्द्र सुरीजी जैन दादावाडी के साथ दर्ज त्रुटिपूर्वक प्रविष्टि पन्नालाल वल्द गणपतलाल कौम ओसवाल को हटाया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय मे दिनांक . 13.02.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा